न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 20/2019 (RCMS No. 2019/00033)

प्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. पदमाराम पुत्र जोधाराम जाति गुर्जर निवासी कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908

उपस्थित – श्री तहसीलदार कुचामनसिटी प्रार्थी
श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 10-02-2020

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि इसी उनवान का एक वाद बहुत ही मजबूत बिनाय पर आधारित अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भांवना है, ग्राम कुचामनसिटी में अवस्थित वर्तमान खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.6775 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय भूमि अवस्थित है, चालू भू–राजस्व अधिकार अभिलेख सम्वत 2075 में उक्त भूमि की किस्म कृषि बारानी द्वितीय है जिसका अप्रार्थी खातेदार है, उपर्युक्त भूमि की वर्तमान किस्म बारानी द्वितीय में अप्रार्थी पदमाराम द्वारा उपर्युक्त आराजी में से 0.1026 हैक्टर कृषि भूमि को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाये बिना सीमेन्ट ब्लॉक फैक्ट्री हेतु औद्योगिक कार्य के लिए नेमाराम बलारा के माध्यम से कृषि भूमि का दुरूपयोग कर कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यो के लिए उपयोग में ले रहा है इस वजह से कृषि भूमि की उर्वरकता नष्ट हो रही है, अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 1013 की बारानी द्वितीय की भूमि कृषि प्रयोजन से असंगत सीमेन्ट ब्लॉक [illegible] के कार्यो हेतु उपयोग में लेकर उक्त कृषि भूमि की उर्वरक क्षमता [illegible] किया है, अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] प्रावधानों का स्पष्टतया उल्लंघन है, उपर्युक्त अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा में से 0.1026 हैक्टर कृषि भूमि हानिप्रद गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के कारण अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उसके खातेदारी की कृषि भूमि को सिवाय चक राजकीय भूमि घोषित किये जाने योग्य होने के कारण रिसीवरी एवं अस्थाई निषेधाज्ञा कार्यवाही हेतु यह आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:16:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

पेश करना आवश्यक हुआ, अप्रार्थी द्वारा वाद दौरान कृषि भूमि मे अप्रार्थी द्वारा नाजायज तरीके से बिना किसी वैध प्राधिकार के एवं संपरिवर्तन करवाये गैर कृषि कार्य हेतु सीमेन्ट की फैक्ट्री का निर्माण कर औद्योगिक कार्य के लिए उपयोग में लेकर कृषि भूमि का दुरूपयोग कर क्षति कारित कि जा रहा है, प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बखुबी प्रमाणित है यदि दौरान मूल प्रकरण की सुनवाई के अप्रार्थी द्वारा वादाधिन कृषि भूमि में नया कच्चा पक्का निर्माण करता है अथवा अन्यत्र बेचान हस्तानान्तरण भारग्रस्त एवं किस्म परिवर्तन कर क्षति कारित करता है तो इससे प्रार्थी को असुविधा एवं अपूर्तनीय क्षति होगी जिससे होने वाली क्षति की पूर्ति रूपयों में कि जाना असम्भव हे, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि दौराने वाद ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.6775 हैक्टर बारानी द्वितीय कृषि भूमि की सुरक्षा संरक्षण हेतु रिसिवर नियुक्त किया जाकर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं मूल प्रकरण की सुनवाई तक अप्रार्थी विवादित आराजी को अन्यत्र बेचान हस्तानान्तरण भारग्रस्त नही करे एवं उक्त आराजी मे किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ, जिसने कथन किया है कि अप्रार्थी ने पूर्व में कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1013 की भूमि में से कुछ भूमि को नेमाराम पुत्र चन्द्राराम जाट कुचामनसिटी वाले को विक्रय की थी जिसको नेमाराम ने नियमानुसार रूपान्तरकरण करवाकर सीमेन्ट ब्लॉक फैक्ट्री स्थापित कर रखी है इसलिए अप्रार्थी द्वारा भूमि का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग नही किया जा रहा है, अप्रार्थी अपनी कब्जासुदा खातेदारी सुदा भूमि पर आज भी कृषि कार्य करता आ रहा है इसलिए उर्वरक क्षमता को नुकसान पहुंचाने का प्रश्न ही पैदा नही होता तथा न ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने व सिवाय चक राजकीय भूमि घोषित किये जाने का कोई औचित्य ही नही है, अप्रार्थी की आजीविका का एक मात्र साधन कृषि ही है तथा कृषि से ही अपने व अपने परिवार का पालन–पोषण करता है, प्रार्थी ने बिना जांच किये ही यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है, अप्रार्थी नें अपनी भूमि में किसी भी प्रकार की सीमेन्ट ब्लॉक फैक्ट्री स्थापित नही कर रखी है, अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है न कि प्रार्थी के पक्ष में इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना– पत्र काबिल खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:16:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–77 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1013 रकबा 0.6775 हैक्टर में पदमाराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

जोधाराम हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा. देह खातेदार दर्ज है। राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वादग्रस्त भूमि कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1013 में पदमाराम द्वारा 0.1026 हैक्टर भूमि कृषि भूमि को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाये बिना सीमेन्ट ब्लॉक फैक्ट्री हेतु औद्योगिक कार्य के लिए नेमाराम बलारा के माध्यम से कृषि भूमि को दुरूपयोग कर कृषि भूमि को हानिप्रद कार्यो के लिए उपयोग में ले रहा है इस वजह से कृषि भूमि की उर्वरकता नष्ट हो रही है, इसके प्रतिउत्तर में अप्रार्थी द्वारा कथन किया है कि उक्त भूमि को कृषि कार्य के लिए ही प्रयोग में ले रहा है परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य इत्यादि अप्रार्थी द्वार प्रस्तुत नही किया है जिससे उसके कथनो को सही माना जा सके। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकरण में अप्रार्थी को ता–फैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1013 में बेचान हस्तानान्तरण भारग्रस्त इत्यादि नही करे, मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं उक्त आराजी में किसी प्राकर का कच्चा पक्का निर्माण नही करे। पटवारी हल्का कुचामनसिटी/तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं उपं पंजीयक कुचामनसिटी किसी भी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन स्वीकार नही करे।

आदेश आज दिनॉक 10/02/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:16:33 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.02.26 13:05:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: